

26/6/24

प्रत्यक्ष पत्र उपर। द्वितीय पत्र 4 फालगुन
हाजिर। द्वितीय पत्र ही भरी है 1500-5000
कागजिली पीठालीन पदाधिकारी उच्च न्यायालय
में प्रतिशोधन पत्र कागजिली करने के लिए भेजा है।

01.07.2024 अभिलेख उपस्थापित।

दिनांक 26.06.2024 को उक्त वार की
60 दिन की अवधि पूरी हो चुकी है।
उक्त दिवस को अव्योदहारणी उच्च
न्यायालय शीर्ष में वे जिसके कानून
दोनों पक्ष का अंतिम वरदान नहीं सुना
जा सका तथा आदेश नहीं दिया
जा सका।

शुद्ध 24 वार कामकाज
हो चुका है।

अतः उक्त वार की समाप्त
व्योक्ति किया जा रहा है।


01.07.2024